हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

सप्तम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 56

वीरवार, 19 दिसम्बर, 2024/28 मार्गशीर्ष, 1946 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर जारी चर्चा पर वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व निम्नलिखित शब्दों में अपना मन्तव्य ज़ाहिर किया-

> "As you all know we have a lot of Business to transact like Question Hour, Zero Hour and some Bills. So, if you all agree, can we take up that Business first, thereafter we will start with the discussions under Rule-67. You (Opposition) want discussion on priority. I am deferring the whole Business after the discussion under Rule-67. I hope you all will be discussing this issue in a brief and short manner as lot of things have already come in the discussion. जो पिछले कल की मेरे पास लिस्ट थी, उसके अनुसार माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी अब नियम-67 के

अन्तर्गत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। I will request both the parties to give revised list."

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

1. **श्री बिक्रम सिंह**

माननीय अध्यक्ष ने अवगत करवाया कि उन्हें चर्चा में भाग लेने हेतु दोनों पक्षों की ओर से 7-7 माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं इसलिए प्रत्येक वक्ता समय-सीमा का ध्यान रखें।

2. **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री**

(11.35 बजे पूर्वाह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

3. **श्री सुधीर शर्मा**

4. **श्री चंद्र शेखर**

(12.20 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान पिछली सरकार के समय पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक मामले पर टिप्पणी करने पर **माननीय नेता प्रतिपक्ष ने** आपत्ति दर्ज़ करते हुए स्थिति स्पष्ट की एवं कहा कि सदन में इस तरह से गलत तथ्य प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो विषय यहां उठ रहे हैं इस तरह के बहुत सारे विषय पिछले दो वर्षों से इस माननीय सदन के रिकॉर्ड पर हैं और अभी नए विषय बहुत कम आए हैं। So, which have already been discussed and debated upon and which is already a part of the record, there is no need to repeat those issues.

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री बिक्रम सिंह तथा श्री विनोद कुमार माननीय सदस्यों द्वारा सोलर पावर प्रोजैक्ट पेखुबेला, ऊना के संबंध में टिप्पणी करने पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा इससे संबंधित कुछ कागज़ात भी सभा पटल पर ले किए।

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सरकार द्वारा रिकॉर्ड टाइम में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिला ऊना को बिजली उत्पादन का जिला बनाया गया है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि यदि सरकार को लगता है

कि किसी मामले की जांच होनी चाहिए तो जांच अवश्य करवाइए, इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं माननीय सदन को पुनः सूचित करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण अभी कुछ क्षण पश्चात् 01.00 बजे अपराह्न सामूहिक फोटोग्राफ के लिए विधान सभा परिसर में इकट्ठे हो जाएं क्योंकि जो नए माननीय सदस्य चुन करके आए हैं उनका यह पहला फोटोग्राफ है।"

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

"मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज विशिष्ट दीर्घा में हमारी पूर्व विधान सभा सदस्य एवं मंत्री तथा सांसद श्रीमती विपल्व ठाकुर और हमारे पूर्व विधायक एवं मंत्री तथा वर्तमान में एस.सी. कारपोरेशन के चेयरमैन श्री कुलदीप कुमार जी तथा मेयर धर्मशाला, श्रीमती नीना शर्मा जी और देवेन्द्र जग्गी जी इस सदन की कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त आज बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां मौजूद हैं और अन्य भी बाहर से जो लोग दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं।"

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

माननीय अध्यक्ष ने जानकारी दी कि चर्चा के लिए अभी उपलब्ध सूची के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा सत्तापक्ष व विपक्ष के पांच-पांच माननीय सदस्य यानी कुल 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है। अभी 2.00 बज चुके हैं और सदन के समक्ष बहुत ज्यादा बिजनेस पेंडिंग है। अभी बिल्स और फाइनेंस बिल भी पारित होने हैं। चूंकि नियम-67 के तहत काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए

बेहतर रहेगा अगर विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें और फिर इस सारी चर्चा का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें ताकि हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाएं।

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया कि दोनों तरफ से 3-3 माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दे दी जाए तो ठीक रहेगा।

4. **श्री विपिन सिंह परमार**

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान टूरिस्ट विलेज का ज़िक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा।

माननीय उद्योग मंत्री ने अवैध खनन को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान कृपाल चंद कूहल का ज़िक्र करने पर स्थिति स्पष्ट की।

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती द्वारा पिछले कल चर्चा के दौरान पूर्व विधायक एवं लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री सतपाल रायजादा के के.सी.सी. बैंक द्वारा लोन के सेटलमैंट का जिक्र करने पर **माननीय मुख्य मंत्री** हुए बताया कि उनका लोन वन टाइम सेटलमैंट पॉलिसी के ने स्थिति स्पष्ट करते तहत सैटल हुआ था।

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यह वन टाइम सेटलमैंट पॉलिसी ऐसे गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी कुर्की की स्थिति आ गई हो ताकि उनका घर या प्रॉपर्टी न बिक जाए।

5. **श्री त्रिलोक जम्वाल**

6. **श्री आर0एस0 बाली**

माननीय सदस्य ने कुछ कागज़ात (कोर्ट में दिए गए अटैस्टिड एफिडेविट) भी सभा पटल पर उपस्थापित किए।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह और **श्री रणधीर शर्मा** ने अपनी बात रखने की अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली ने व्यक्तिगत कुछ भी नहीं बोला है। जो विपक्ष द्वारा उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उन्होंने केवल उसका जवाब दिया है।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने पूछा कि प्राइम प्लेसिज के होटल्स के बारे में टूरिज्म डिपार्टमैंट कोर्ट में एफिडेविट देकर कहता है कि ये घाटे में हैं तो क्या इस पर शक पैदा नहीं होना चाहिए?

7. **श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष**

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना शुरू किया।

(5.30 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल व नारेबाजी करने लगे।)

(05.40 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(05.45 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।)

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष को शांत करते हुए कहा कि-

Now Hon'ble Chief Minister is replying. As and when he finishes his speech I will allow you. So please, take your seats. There is no opportunity to interrupt the Hon'ble Chief Minister while he is replying. So, please take your seats. Hon'ble Leader of Opposition when you were on your legs everybody heard you very patiently for 60 minutes. There was no interruption from the Hon'ble Chief Minister's side.

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर पूर्ण किया।

(6.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक 7.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

निंदा प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री(उद्योग मंत्री) ने विपक्ष द्वारा किए गए बहिर्गमन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नियम-67 की चर्चा लाई परन्तु वे स्वयं ही इस चर्चा के प्रति गंभीर नहीं थे जोकि निंदनीय है। विपक्ष द्वारा स्वयं चर्चा लाने के बावजूद बिना जवाब सुने सदन से बहिर्गमन करना इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की ओर से सदन में भारतीय जनता पार्टी की कार्य-प्रणाली के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नियम-67 के अंतर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव के मूवर्स इस समय सदन से बाहर चले गए हैं यानी सदन से अनुपस्थित हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव चर्चा के उपरान्त अस्वीकार हुआ।

1. प्रश्नोत्तर

(प्रश्नकाल का सारा समय चर्चा में ही व्यतीत हो जाने के कारण कार्यसूची में निर्धारित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।)

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि "आज की कार्यसूची में बहुत सारा बिजनेस लिस्टिड है जिसमें कुछ वित्त से संबंधित भी जरूरी बिजनेस है। अभी सदन की बैठक का कुछ समय शेष बचा हुआ है इसलिए कुछ बिजनेस पूरा कर लेते हैं। दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की कार्यसूची में सूचीबद्ध आइटम नं0 2 से 4 तक कार्यवाही का भाग बनेंगे।"(जिसमें स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर, कागजात सभा पटल पर व सदन की समिति की समितियों के प्रतिवेदन शामिल हैं।)

5. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे-

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण सदन में पुरःस्थापित किया।

मांगों पर विचार एवं पारण

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2014-15 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 29 और 31 तथा वर्ष 2015-16 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 5, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 28 और 29 तथा वर्ष 2016-17 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 1, 2, 3, 10, 13, 16, 23 और 29 तथा वर्ष 2017-18 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 5 और 10 तथा वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 3, 5, 7, 10, 12,

13, 20, 22, 25 और 29 तथा वर्ष 2019-20 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः संख्या 5, 13, 21, 22, 28 और 29 तथा वर्ष 2020-21 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 10, 13, 25, 28 और 31 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय की गई राशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

6. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पुरःस्थापित हुआ।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पुरःस्थापित हुआ।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) पुरःस्थापित हुआ।

(4) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पुरःस्थापित हुआ।

(5) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) पुरःस्थापित हुआ।

(6) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) पुरःस्थापित हुआ।

(7) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) पुरःस्थापित हुआ।

(8) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) पुरःस्थापित हुआ।

(9) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पुरःस्थापित हुआ।

(10) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पुरःस्थापित हुआ।

06.50 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार 20 दिसम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।